

24.04.2024:- पत्रावली पेशी में आई। वादी वकील उपस्थित नहीं आए।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया  
कि पत्रावली में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। प्रार्थी  
व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। प्रार्थी  
आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन  
उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित  
नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी / अदम  
हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम  
की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



*Qwip*